पत्रांक : NULM-PMC/001 /SM&ID-Comm /2015-16/ 22 /न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा0, प्र0 से0
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

सेवा में,

निबंधक
सहकारी समितियॉ
सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

पटना, दिनांक– 18/01/16

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत गठित किये जा रहे महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के क्षेत्र स्तरीय संघो (Area Level Associations) के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के 42 शहरों में महिला स्वयं सहायता समूहों को संघीकृत करने हेतु क्षेत्र स्तरीय संघों (ALOs) का निर्माण किया जा रहा है, जिनका निबंधन बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम – 1996 के अन्तर्गत किया जाना है (मार्गदर्शिका एवं निबंधित क्षेत्र स्तरीय संघ की उपविधियॉ संलग्न)। उपरोक्त अधिनियम के तहत क्षेत्र स्तरीय संघों के निबंधन की प्रकिया धीमी है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ को अपने स्तर से क्षेत्र स्तरीय संघ के निबंधन हेतु निदेशित किया जाय ताकि विभिन्न स्तरों पर होनेवाले अनावश्यक विलंब से बचते हुए निबंधन की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके।

अनु0– यथोक्त

विश्वासभाजन

15.1.16

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रतिलिपि :

1. टीम लीडर, PMC-NULM
2. टीम लीडर, SPUR